

प्रेषक,

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास

पशुपालन विभाग,

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
2. समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
3. संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा-लखनऊ/बाबूगढ़-हापुड़/निबलेट-बाराबंकी।
4. परियोजना निदेशक, वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़, चन्दौली।
5. प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्सी का तालाब, लखनऊ।
6. प्रायोजनाधिकारी, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, लखीमपुर-खीरी/रायबरेली/आजमगढ़/मुजफ्फरनगर/गोरखपुर/उरई-जालौन।
7. मुख्य तकनीकी अधिकारी, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र बरेली/पीलीभीत।
8. संयुक्त निदेशक, एनीमल, न्यूट्रीनिष्ट, बादशाहबाग, लखनऊ।
9. मुख्या तकनीकी अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र, महानगर, लखनऊ।
10. मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट प्रशिक्षण), महानगर, लखनऊ/झांसी।
11. उप निदेशक, पी०टी०एस०, पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, निबलेट-बाराबंकी।
12. अनुसंधान अधिकारी, (कुक्कुट), बाबूगढ़, हापुड़।
13. प्रायोजना अधिकारी, सघन भेड़ एवं ऊन वर्गीकरण, मिर्जापुर।
14. मुख्य तकनीकी अधिकारी, ऊन वर्गीकरण एवं डिस्पोजल, मिर्जापुर।
15. मुख्य तकनीकी अधिकारी, (भेड़ एवं ऊन विकास) प्रयागराज/वाराणसी/मिर्जापुर।
16. संयुक्त निदेशक, भदावरी, भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा।
17. वेटनरी पैथालोजिस्ट/गायनोक्लोजिस्ट, गोरखपुर/अयोध्या/लखनऊ/बरेली/मेरठ/आगरा/झांसी/मुरादाबाद/वाराणसी/प्रयागराज/कानपुर नगर।
18. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
19. उप निदेशक, जैविक औषधि उत्पादन संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ।
20. सचिव, राजस्व परिषद, अनुभाग-7, उ०प्र० लखनऊ।
21. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
22. प्रक्षेत्र प्रबन्धक/प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, अराजीलाइन्स-वाराणसी/सैदपुर-ललितपुर/बाबूगढ़-हापुड़/हस्तिनापुर-मेरठ/भरारी-झांसी/आटा-जालौन/निबलेट-बाराबंकी/नीलगांव-सीतापुर/मंझरा-खीरी/चकगंजरिया, लखनऊ स्थित निबलेट-बाराबंकी।

संख्या: 1659/बजट/29(5)/30/13/2019-20

दिनांक: 26 मार्च, 2019

विषय:

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय में अधिष्ठान एवं अन्य आकस्मिक मदों में धनराशि की आवश्यकता की सूचना प्रेषित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-निदेशालय योजनान्तर्गत प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अधिष्ठान एवं आकस्मिक मदों में आपके स्तर से आवश्यक धनराशि की मांग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना है। देखा गया है कि आपके स्तर से युक्त-युक्त मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने के कारण आवश्यकता से अधिक आवंटन होने पर धनराशि अनावश्यक रूप से आपके स्तर पर

अप्रयुक्त रह जाती है तथा जिन संस्थाओं पर धनराशि की वास्तविक आवश्यकता होती है, उन्हें उपयुक्त धनराशि समयान्तर्गत उपलब्ध न होने के कारण कार्य संचालन बाधित होने के साथ-साथ उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान निरन्तर मांग का प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु निम्न बिन्दुओं के दृष्टिगत मांग का प्रस्ताव तैयार का संलग्न प्रारूप-1, 2 एवं 3 पर दिनांक 20.4.2019 तक विशेष वाहक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मांग के अभाव में अधिष्ठान मद के अतिरिक्त किसी अन्य मद में धनराशि का आवंटन किया जाना सम्भव नहीं होगा :-

1. मांग का प्रस्ताव विगत 03 वर्षों में हुए वास्तविक व्यय के दृष्टिगत तैयार किया जाय तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लम्बित देयकों के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि हेतु मांग के समर्थन में देयों का विवरण/साक्ष्य अनिवार्य रूप प्रस्तुत किया जाय। देयों के विवरण/साक्ष्य प्राप्त न होने की दशा में लम्बित देयों के भुगतान हेतु धनराशि के आवंटन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
2. अधिष्ठान मद में अन्तर्गत मांग का प्रस्ताव माह फरवरी, 2019 के वेतन बिल पंजिका के आधार पर वर्ष के दौरान देय मंहगाई भत्ते एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के दृष्टिगत तैयार कर प्रारूप-1 पर उपलब्ध कराये तथा स्थानान्तरण सत्र के पश्चात पुनः मांग का परीक्षण कर युक्त-युक्त प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।
3. मानक मद-02 हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में औचित्य का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कार्मिक की संख्या/दर एवं निरन्तरता के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करायी जाय।
4. मानक मद 05 के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिकों के लम्बित देयों के भुगतान हेतु मांग का प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि देयक कालातीत तो नहीं है, यदि देयक कालातीत हैं तो उसको सक्षम अधिकारी द्वारा पुर्नजीवित कराकर पूर्व निर्धारित प्रारूप-2 पर मांग प्रेषित की जाय। आहरण वितरण अधिकारी/संस्था प्रभारियों का यह दायित्व होगा कि वह अपने कार्यालय में उपरोक्त मद का पृथक रजिस्टर तैयार कर "प्रथम आगत प्रथम निर्गत" के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों के बीजकों की धनराशि का विवरण तैयार करेंगे तथा उसी के आधार पर कार्मिकों के धनराशिवार सूची उपलब्ध कराते हुए निदेशालय को मांग पत्र प्रेषित करेंगे। मांग प्रेषित करते समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि विगत वर्षों में स्थानान्तरण यात्रा भत्ते से सम्बन्धित देयकों का भुगतान नहीं हुआ है तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग करते समय प्रारूप-2 पर पुनः समस्त सम्बन्धित कार्मिकों की सूची उपलब्ध करायी जाय।
5. मानक मद-9, 10, 13, व 17 के सम्बन्ध में देयों का भुगतान निश्चित है। ऐसी स्थिति में संस्था का विवरण सहित प्रतिमाह देय दर के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराये।
6. मानक मद-16 के अन्तर्गत मा0 न्यायालयों के व्यय से सम्बन्धित लम्बित देयों के भुगतान हेतु मांग के प्रस्ताव को प्रेषित करते समय मा0 न्यायालयों का नाम/वाद संख्या/प्रतिवादी का विवरण/शपथ-पत्र दाखिल किये जाने की तिथि एवं वाद की अद्यतन स्थिति से अवश्य अवगत कराये।
7. मानक मद-49 के लम्बित देयकों को चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनर्वैधीकृत करते हुए पारित आदेश की प्रति सहित सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृत एवं परिशिष्ट-ग की प्रति उपलब्ध कराये। चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत मानक मद-49 के अन्तर्गत मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत करने आहरण वितरण अधिकारी/संस्था प्रभारियों का यह दायित्व होगा कि वह अपने कार्यालय में उपरोक्त मद का पृथक रजिस्टर तैयार कर "प्रथम आगत प्रथम निर्गत" के आधार पर कार्मिकों के देयकों की धनराशि का विवरण तैयार करेंगे तथा उसी आधार पर कार्मिकों की धनराशिवार सूची उक्तानुसार आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराते हुए निदेशालय को मांग पत्र प्रेषित करेंगे।
8. ऐसी संस्थाएँ जिनके कार्यक्रम का संचालन प्रश्नगत योजनान्तर्गत उपलब्ध आय-व्यय से किया जाता है वे विगत 03 वर्षों के वास्तविक व्यय के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष में कार्यक्रम के संचालन हेतु सम्बन्धित मानक मदों में आवश्यक धनराशि हेतु युक्त-युक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

9. मांग का प्रस्ताव सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा, जिस पर किसी भी ओवर राइटिंग की स्थिति में प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होगा। ऐसी संस्थाएं जिनके आहरण वितरण का अधिकार किसी अन्य अधिकारी के पास है वे अपना प्रस्ताव सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करते हुए पृष्ठांकन प्रति अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी ऐसे प्राप्त प्रस्ताव को 03 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व पूर्व में ही निर्धारित किया जाता है।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मांग का प्रस्ताव किसी भी माह की 10 तारीख से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय, जिससे मांग के प्रस्ताव का परीक्षण कर 15 तारीख तक उपलब्धता के आधार पर आवश्यक धनराशि को आवंटित की जा सके।
11. अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-03-राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र, योजनान्तर्गत मांग का प्रस्ताव सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी उक्तानुसार दिये गये निर्देशों के क्रम में तैयार कर उप निदेशक (प्रक्षेत्र), महानगर, लखनऊ को प्रेषित करे, जिसे उप निदेशक (प्रक्षेत्र), महानगर, लखनऊ संकलित कर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

वित्त नियन्त्रक।

प्रारूप-1
वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधिष्ठान मदों में धनराशि की आवश्यकता

कार्यालय का नाम

आहरण वितरण अधिकारी का नाम/पदनाम

धनराशि रुपये में

मानक मद का नाम	गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल व्यय	वर्ष 2018-19 हेतु अवशेष मांग (यदि कोई)	वर्ष 2019-20 में नियमित वेतन हेतु मांग	अभ्युक्ति

प्रारूप-3
वित्तीय वर्ष 2019-20 में आकस्मिक मदों में धनराशि की आवश्यकता

कार्यालय का नाम

आहरण वितरण अधिकारी का नाम/पदनाम

धनराशि रुपये में

मानक मद का नाम	गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल व्यय	वर्ष 2018-19 हेतु अवशेष मांग (यदि कोई हो)	वर्ष 2019-20 में नियमित मांग	अभ्युक्ति

32/1

मानक मद 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय हेतु मांग-पत्र का प्रारूप

प्रारूप-2

कार्यालय का नाम-----		घनराशि रुपये में									
क्र०	संस्था / आहरण वितरण अधिकारी	कार्मिक का नाम	पदनाम	बीजक कार्यालय उपलब्ध कराने की तिथि	बीजक में अवधि कब से कब तक	बीजक की बीजक से घनराशि	की सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी के बीजक से निवृत्त सेवा सम्बन्धित है या नहीं	बीजक कालातीत है से अथवा नहीं।	अभ्युक्ति		
सं०	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											

